न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 741-I/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–4–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभा उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2010–11.

दिनेश पिता जगदीश शर्मा,

निवासी 40 महावीर नगर जावरा रोड,

जिला रतलाम म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–विश्वम्भर पिता गजाधर शर्मा

2–गोविन्द कुमार पिता गजाधर शर्मा

3–ईश्वरीप्रसाद पिता गजाधर शर्मा

4–लक्ष्मीनारायण पिता गजाधर शर्मा

निवासीगण 45 जावरा रोड जिला–रतलाम म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/5/2014 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 11–04–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदकगण के विरूद्ध तहसील न्यायालय में इस आशय का नामान्तरण आवेदन दिनांक 3–8–09 को प्रस्तुत किया कि ग्राम विरयाखेडी तहसील व जिला रतलाम स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 150 / 1 / 1क रकबा 3.109 है व सर्वे नम्बर 146 / 3 रकबा 0.200 हेक्टर भूमि अनावेदकगण के नाम दर्ज रिकार्ड है । उक्त सर्वे नम्बर 150 / 1 / 1क में से 14 बीघा भूमि आवेदक के चाचा गजाधर जी ने वसीयत कर आवेदक को वारिस बनाया है । अज्ञानतावश आवेदक ने अपना नाम दर्ज नहीं कराया और अनावेदकगण का नाम दर्ज हो गया इसलिये आवेदक का नाम दर्ज किया जावे । तहसील न्यायलय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर अनावेदकगण को नोटिस भेजे, जो उनके द्वारा लेने से इंकार करने के आधार पर व आवेदक का प्रमाण लेकर आवेदक का पारित आदेश दिनांक 11–9–2009 से नामान्तरण कर दिया है । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11–9–2009 से दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 34 / अपील / 09–10 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 26–10–10 से अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2009 अपास्त किया व प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का विधिसम्मत निराकरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप करें । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2010 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 38 / अपील / 2010–11 में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 11–04–2011 से प्रस्तुत अपील निरस्त की । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–2011 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि दोनों योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया जाना परिसीमा अधिनियम एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों को समझने में

वैधानिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है एवं जो आदेश दिये गये है वे त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी एवं उनके द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी अपील के साथ प्रस्तुत किया गया था । अनुविभागीय अधिकरी का यह कर्तव्य था कि वे सर्वप्रथम धारा 5 अवधी विधान के आवेदन का निराकरण करते तथा तदोपरान्त ही अपील की सुनवाई व निराकरण किया जा सकता था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीधे ही अपील की सुनवाई करने में गम्भीर वैधानिक त्रुटि की गई है तथा अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त त्रुटि का संज्ञान न लेने में व उक्त त्रुटि को दृष्टि ओझल करने में गम्भीर वैधानिक तथ्यात्मक त्रुटि की गई है । स्वंय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 34/अपील/09–10 में अंकित प्रोसिडिंग दिनांक 28–07–2010 के माध्यम से उक्त प्रकरण सर्वप्रथम धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पर जवाब तर्क हेतु नियत किया गया था किन्तु तत्पश्चात न तो उक्त आवेदन का उत्तर प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया न ही विधिवत निराकरण किया गया बल्कि सीधे ही अपील का अन्तिम निराकरण कर दिया गया है । उक्त तथ्य अधीनस्थ अपर आयुक्त के समक्ष स्पष्ट रूप से मय न्यायदृष्टान्तों के रखे गये किन्तु अपर आयुक्त द्वारा भी महत्वपूर्ण वैधानिक त्रुटि की ओर कोई ध्यान न देते हुए निगरानीकर्ता की अपील निरस्त करने में गम्भीर वैधानिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है । दोनों योग्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार रतलाम के समक्ष प्रचलित प्रकरण जिसमें निगरानीकर्ता का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, के नोटिस की तामिली लेने से ही इन्कार कर दिया गया था तथा ऐसी स्थिति में उपधारणा यही होगी कि संबंधित को सूचना प्राप्त हो चूकि है किन्तु उक्त तथ्य के उपरान्त भी दोनों योग्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नामान्तरण नियमों का पालन न होना मानने में व प्रार्थी निगरानीकर्ता का नामान्तरण स्वीकार करने के आदेश को अपास्त कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड पर था कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निगरानीकर्ता के आवेदन धारा 52 भू0–राजस्व संहिता का जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है उसमें उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि 05–08–1980 को बॅटवारें में प्राप्त होना बताई गई है । इसके विपरीत उनके द्वारा

वर्ष 1995 में चुपचाप अपना नामान्तरण उक्त भूमि पर करवा लिया गया । चूँकि निगरानीकर्ता मूल स्वामी गजाधरजी की वसीयत के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी हुआ है, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा गजाधरजी की मृत्यु के उपरांन्त वसीयत के आधार पर इनका नामान्तरण चाहा गया है जिसे तहसीलदार द्वारा पूर्ण विधिक प्रावधानों व नियमों का पालन करने के पश्चात स्वीकार किया गया है । उक्त तथ्यों के विपरीत अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर निगरानीकर्ता की अपील निरस्त कर दी गई है कि तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई थी । जबकि स्पष्ट रूप से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत उक्त कार्यवाही सामान्य नामान्तरण की कार्यवाही थी, न की पुनर्विलोकन की कार्यवाही। इस प्रकार उभयपक्षों मध्य विद्यमान विवाद से परे नवीन बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त कर दी गई है । उक्त आधार पर प्रश्नाधीन आदेश पुनरीक्षित कर अपास्त किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील के लंबित रहते स्वयं अनावेदकगण द्वारा दिवानी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत कर दिया गया था तथा निगरानीकर्ता द्वारा उक्त तथ्य पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए प्रकरण के अंतिम निराकरण तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने का निवेदन भी किया गया था ताकि दिवानी न्यायालय से स्वत्वों का निराकरण हो सके किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य ज्ञात होने के उपरान्त भी एवं दिवानी न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के उपरान्त भी अपील की सुनवाई कर शीघ्रतापूर्वक अपील का निराकरण कर दिया गया । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टि ओझल कर दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए विधिवत सूचनापत्र जारी कर साक्षीगण के कथन अंकित कर आदेश दिनांक 11–09–2009 पारित किया गया था तथा उक्त आदेश पूर्णतः विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार ही अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था किन्तु फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को अपास्त करने में एवं अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में गम्भीर भूल की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरण की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना प्रार्थी निगरानीकर्ता को सुने अत्यंत शीघ्रता में उक्त अपील का

निराकरण किया गया है एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों का कोई पालन नहीं किया गया है । उक्त तथ्य योग्य अपर आयुक्त के समक्ष लाये जाने पर भी उनके द्वारा भी उक्त अवैधानिक आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के प्रकाश में भी प्रश्नाधीन दोनों आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण पर नोटिस निर्वाह होना मानकर नामान्तरण का आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है जबकि अनावेदक पर नोटिस का निर्वाह हुआ ही नहीं है आवेदक ने षडयंत्रपूर्वक कृषिभूमि हड़पने के लिये मिलमिलाकर लेने से इंकार लिखवा दिया है इस प्रकार जामिल की रिपोर्ट सही नहीं है इस कारण प्रकरण का विधि सम्मत रूप से नोटिस का निर्वाह ही नहीं होने से आदेश निरस्ती योग्य है । अनावेदक को जैसे ही उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 16–07–10 को होने पर तत्काल अनावेदक द्वारा आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश किया और नकल दिनांक 22–07–10 को लेते ही अविलम्ब अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की पत्रावली से स्पष्ट है कि आवेदक बगैर विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाये बगैर विधिवत अनावेदक पर प्रकरण तामिल कराए व विधि अनुसार उद्घोषणा भी नहीं कराई व कपटपूर्वक फर्जी वसीयत के आधार पर एवं एक पक्षीय आधार पर नामान्तरण करवा लिया । अनावेदक के पिता ने आवेदक को जो कि भतीजा है वसीयत करने कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि अनावेदक उनके पुत्र होते हुए भी व पुत्र के साथ रहने व सेवा करने से अनावेदक पुत्रों को अनदेखा कर वसीयत करने का प्रश्न ही नहीं था यदि ऐसा होना था तो वसीयत की जानकारी अनावेदक के पिता द्वारा भी अनावेदक को दी जा सकती थी । इस प्रकार अनावेदक के पिता द्वारा उक्त वसीयत आवेदक के पक्ष में संपादित करने का प्रश्न ही नहीं था । अनावेदक के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त कृषिभूमि को विधिवत बंटवारा संयुक्त हिन्दु परिवार की

कृषिभूमि होने से तहसीलदार रतलाम के यहा प्रकरण क्र0 15–अ/27/79–80 में कार्यवाही कर दिनांक 05–08–80 को बंटवारा कर दिया थ तथा दिनांक 5–8–80 को ही उपरोक्त कृषिभूमि का मय भूमि स्वामी स्वत्वों का अधिकार अनावेदक को प्रदान करते हुए आधिपत्य सौंप दिया था तथा भू–अभिलेखों में भी नामान्तरण करवा दिया था इस प्रकार जिस तथाकथित फर्जी वसीयत दिनांक 10–10–94 को स्वर्गीय गजाधर ही मालिक व आधिपत्यधारी ही नहीं थे तो वसीयत स्वतः ही अवैध व शून्यवत है तथा आवेदक की धोखाधड़ी तामिली नहीं होने दी लेकिन आवेदक सफल नहीं हो सका अनावेदक को जानकारी मिलते ही तत्काल अपील पेश कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाकर संलग्न बंटवारा आदेश व राजस्व खसरा व खाता रिकार्ड पेश किया जिसमें स्पष्ट है कि आवेदक का फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण पूर्णतः अवैध है । अनावेदक द्वारा जहीर सूचना भी फर्जी वसीयत के संबंध में निकलवाई है व दिवानी वाद भी प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक के विरूद्ध स्थगन आदेश भी अनावेदक को मिला है । फर्जी वसीयत के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आवेदक ने स्टाम्प इन्दौर से खरीदा है और स्वयं ने टाईप करवा कर स्वर्गीय गजाधर के हस्ताक्षर कर दिये लेकिन आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में जानबुझकर सही स्थिति नहीं आ पाये इसलिये अनावेदक पर तामिली ही नहीं होने दी और अवैध रूप से कपटपूर्वक नामान्तरण करवा लिया । अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है अन्य अनावेदकगण न्याय पाने से वंचित रह जायेगे । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर विचार करते हुये तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11–9–2009 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निराकरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप करने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भी स्थिर रखे जाने में नियमानुकूल कार्यवाही की गई है अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई बल नहीं होने से खारिज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय व अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । भूमिस्वामी गजाधर की मृत्यु दिनांक 03–11–1994 को हुई तथा उसके वारिसों का नामान्तरण वर्ष 1995 में हो गया । आवेदक ने वर्ष 1994 की वसीयत के आधार पर वर्ष 2009 में 15 वर्ष बाद आवेदन दिया । तहसीलदार ने पुनर्विलोकन की अनुमति के बिना तथा अभिलिखित भूमिस्वामियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आदेश कर दिया । इतने विलम्ब से वसीयतनामा, जिसकी मूल प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई, सन्देहास्पद है । ऐसा नियम विरूद्ध आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी/ अपर आयुक्त न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

6– परिणामस्वरूप निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.